राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141– 2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3 (ख)(पदोन्नति)/2013–14/अलेसे–II/ दिनांकः–16/05/2018

आदेश संख्या ...19..... /2018–19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2013–14) की सिफारिशों के आधार पर श्री लखन लाल गोयल, कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट सं. 680/88, लिंक नं. 5912) जन्म तिथि 01 जुलाई, 1962 (पात्रता सूची क्रमांक 442) जिनका चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत लेखाकार के रिक्त पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके विरूद्ध सीसीए नियम 16 में कार्मिक (क–3/ जांच) विभाग द्वारा ज्ञापन दिनांक 20.01.2013 जारी किया गया था, जांच लंबित होने के कारण इनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये।

श्री लखन लाल गोयल, कनिष्ठ लेखाकार को उनके विरूद्ध लंबित उक्त उल्लिखित जांच के संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक प.1(309)कार्मिक/क–3/जांच/2010/ दिनांक 25.04.2017 द्वारा आरोप सिद्ध नहीं होने पर आरोप मुक्त किये जाने के कारण इनकी पदोन्नति की जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II पद की वेतन श्रृंखला 9300–34800 (पे बैण्ड –2), ग्रेड पे–4200/– में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है। श्री लखन लाल गोयल (मेरिट सं. 680/88) की वरिष्ठता श्री शंकर सिंह राठौड, (जन्म तिथि 10.05.1962) एवं श्री ओमप्रकाश केला (जन्म तिथि 01.08.1962) के मध्य रहेगी।

श्री लखन लाल गोयल को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर चयन के वर्ष की अन्तिम तिथि से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदोन्नति पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

श्री लखन लाल गोयल कनिष्ठ लेखाकार वर्तमान पदस्थापित कार्यालय रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी, जयपुर का पदोन्नति पर पदस्थापन निदेशक पुनर्वास अनुसंधान एवं क्षेत्रीय चरण प्रत्यारोपण केन्द्र, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में एतद् द्वारा किया जाता है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3 (ख)(पदोन्नति)/2013–14/अलेसे–II/261 दिनांकः–16/05/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष...को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित कार्मिक के पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना विभाग का आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।
4. संयुक्त निदेशक, कार्मिक–III, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार की निजी पत्रावली अलेसे–II अनुभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग/वरिष्ठता।
8. श्री...सहायक लेखाधिकारी ग्रेड़–II कार्यालय................ .... ।
9. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

E:\sas-ii\KHANNA JI